संख्या-2/2458/71-आयुष-1-2014-डब्लू-141/2013

प्रेषक,

शारदा सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर, 2014

विषय:राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों के विभिन्न विभागों में हायर फैकल्टी में रीडर से प्रोफेसर के पद पर उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13128/यू0नि0/शिक्षा-69/2014-15 दिनांक 26-06-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 के नियम-5(ख) (दो) "आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत ऐसे उपाचार्यो (रीडर) में से जिन्होंने कम से कम 06 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा, पूरी कर ली हो, पदोन्नति किये जाने की व्यवस्था है' उक्त नियमावली के अन्तर्गत विभाग में कार्यरत रीडर 06 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी न करने के कारण वह प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता में नहीं आते हैं।

2- डा0 मो0 यासीन आजमी द्वारा शिथिलीकरण नियमावली, 2006 के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान किये जाने के उद्देश्य से मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में रिट याचिका संख्या-760(एस0बी0)/2013 दाखिल की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22-7-2014 को निम्न आदेश पारित किये गये है:-

Having considered the submissions raised and the aforesaid facts that have emerged during the pendency of the writ petition once it is the admitted case of the respondents State Government that now the petitioner is entitled for such consideration this writ petition is disposed of with a direction to the State Government to consider the claim of the petitioner for promotion as the petitioner is shortly to retire as informed by the learned counsel for the petitioner on 31st October 2014. This consideration shall be made within a petiod of two months from today and the outcome thereof shall be made known to the petitioner in accordance with law by the Competent Authority.

The promotion shall be considered ignoring any opinion given by the State Government with regard to the eligilibility of the petitioner contained in the impugned order.

With the aforesaid observations the writ petition is finally disposed of.

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

3- मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के दृष्टिगत राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं इलाहाबाद में उच्च संकाय में सी0सी0आई0एम0 मानकों को पूर्ण करने के उद्देश्य से "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली 2006" के नियम-4 में यह व्यवस्था है कि "यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए यथास्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यनतम् सेवा अवधि विहित हों और पात्रता क्षेत्र में, अपेक्षित संख्या में, पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों तो, सरकार के प्रशासकीय विभाग सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से यथास्थिति, उक्त निम्नतर पद या पदों पर यथा निर्धारित परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, ऐसी विहित न्यूनतम् सेवा अवधि में, 50 प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलता प्रदान कर सकते हैं।" के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त राजकीय यूनानी महाविद्यालयों के निम्नलिखित रीडरों को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम/पदनाम/ जन्म तिथि	पदोन्नति के पोषक पद का नाम और उसे मौलिक नियुक्ति के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	जिस पद पर पदोन्नति की जानी है का नाम और उस पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा	पोषक पद पर परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि	परिवीक्षा अवधि को छोड़कर अर्हकारी सेवा में 50 प्रतिशत तक शिथिलीकरण पूर्ण करने की तिथि	परिवीक्षा अवधि को छोड़कर अर्हकारी सेवा में कितनी अवधि का शिथिलीकरण प्रस्तावित है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डा0 मो0 यासीन आजमी, रीडर, जराहत	रीडर, जराहत	प्रोफेसर, जराहत	08-9-2011	08-09-2013	01 वर्ष 02 माह	--
2	डा0 मजाहिर आलम, रीडर, मोआलेजात, 23-9-1962	रीडर, मोआलेजात	प्रोफेसर, मोआलेजात	17-11-2011	17-11-2013	01 वर्ष 05 माह	--
3	डा0 बरकत उल्ला नदवी, रीडर, अमराजे जिल्द व	रीडर, अमराजे जिल्द व मफासिल	प्रोफेसर, अमराजे जिल्द व मफासिल	17-11-2011	17-11-2013	01 वर्ष 05 माह	--

http://shasanadesh.up.nic.in/go/int1a

	मफासिल 5-5-1959						
4	डा0 नईमुद्दीन अंसारी, रीडर, निस्वाँ 04-07-1961	रीडर, निस्वाँ	प्रोफेसर, निस्वाँ	17-11-2011	17-11-2013	01 वर्ष 05 माह	--
5	डा0 नजीब हन्जला अम्मार, रीडर, हिफजाने सेहत 06-08-1970	रीडर, हिफजाने सेहत	प्रोफेसर, हिफजाने सेहत	17-11-2011	17-11-2013	01 वर्ष 05 माह	--

4- अतएव श्री राज्यपाल उपर्युक्त रीडरों को उपर्युक्तानुसार शिथिलीकरण किये जाने की सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं।

5- इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन एवं उक्त शिथिलीकरण नियमावली, 2006 के प्राविधानों के अन्तर्गत शिथिलीकरण के पश्चात उक्त रीडर प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा की पात्रता श्रेणी में आ गये है।

6- अतएव राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं इलाहाबाद के प्रश्नगत रीडरों को प्रोफेसर के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु रिक्तियों के सापेक्ष, लोक सेवा आयोग को निर्धारित प्रारूप पर अधियाचन प्रेषित करने हेतु अधियाचन का प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

शारदा सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-2/2458(1)/71-आयुष-1-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रधानाचार्य, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज, लखनऊ।

3- प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, इलाहाबाद।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जय प्रकाश तिवारी

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra